

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

21/03/2024 18:15 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	384
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/03/2024 Time (समय): 18:15 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016 Date and Time (दिनांक और समय): 21/03/2024 18:15 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, Beat No. (बीट सं.): 55 Km(s)

(b) Address (पता): बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): गुरमीत सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): प्रीतम सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	नजदीक खेड़ा माड़ी, गांव बाबैन,, बाबैन, BABAIN, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	नजदीक खेड़ा माड़ी, गांव बाबैन,, बाबैन, BABAIN, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विकास			1. जिला कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है
सेवा में,

इन्सपेक्टर विजिलैन्स विभाग,

अम्बाला ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं गुरमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह वासी गांव बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं और परचून की

दुकान चलाता हूँ। दिनांक 03.10.2021 को कुछ व्यक्तियों ने मेरे व मेरे परिवार पर लाठी डण्डों से मारपीट करके मुझे व मेरी पत्नी जसविन्द्र कौर व मेरे पिता प्रीतम सिंह को काफी चोटें मारी थी जिस पर मेरे पिता ने थाना बाबैन में केस न. 218/2021 धारा SC/ST Act के तहत दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद हमारे घर पर एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम विकास बतलाया और कहने लगा कि मैं जिला कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से आया हूँ और मुझे कहने लगा कि आपके पिता द्वारा जो केस SC/ST का दर्ज करवाया है, उस मुकदमा में सरकार की योजना के अनुसार आपके परिवार के पीडित व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों से राहत राशि दिलवा सकता हूँ। जब इस मुकदमा की राशि आपकी पत्नी, आपके पिता व आपके खाता में आ जायेगी, तो आपके व आपके परिवारिक सदस्यों के खातों में जितनी राशि आयेगी उसमें से आधी राशि रिश्त के रूप में मुझे देनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले विकास मेरे घर गांव बाबैन आया था और कहने लगा कि आपके व आपके परिवार वालों के खातों में सरकारी योजना के पैसे आ गये हैं मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं कम पढ़ा लिखा हुआ हूँ। कुछ दिन पहले विकास मुझे डरा, धमका कर व दबाव देकर स्वयं व उच्चाधिकारियों के लिये 1,40,000/- रुपये बतौर रिश्त ले गया था और कह रहा था कि अगर आपने किसी को इस बारे में बतलाया तो आपके व आपके परिवार वालों के खाता में आये पैसे आप सभी को वापिस भरने पड़ेंगे। दिनांक 14.03.2024 को विकास मेरे घर गांव बाबैन में दोबारा से आया और उच्चाधिकारियों के देने के लिये व अपने हिस्सा की बकाया रिश्त की 70,000/- रुपये राशि मांगने लगा। मेरी काफी मिन्नतें करने के बाद विकास 30,000/- रुपये रिश्त के रूप में लेने के लिये राजी हो गया। विकास 30,000/- रुपये रिश्त लेने के लिए मुझ पर बार-बार दबाव बना रहा है। विकास ने आज मुझ से रिश्त के 30,000/- लेने हैं। मैं यह रिश्त के पैसे विकास को नहीं देना चाहता और मैं विकास को रिश्त राशि सहित रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मैंने विकास की रिश्त मांगने की रिकार्डिंग की हुई है जो मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। मैंने अपनी दरखास्त के साथ रिश्त के रूप में दी जाने वाले 30,000/- रुपये के करंसी नोट आपको पेश कर दिये हैं। विकास के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

Sd. गुरमीत सिंह

गुरमीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह

वासी नजदीक खेड़ा माड़ी, गांव बाबैन,

जिला कुरुक्षेत्र

मो.न. 98135-09214

दिनांक 21.03.2024

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 21.03.2024 को मन निरीक्षक मय स.उ.नि. निर्भय सिंह न. 21/अम्बाला, मु.सि. राजीव कुमार न. 1229/कुरुक्षेत्र, ई.एच.सी. कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र, सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के बासवारी सरकारी गाड़ी न. एच.आर. 03 जी.वी. 7947 चालक मु.सि. हरनेक सिंह न. 568/अम्बाला के बराये अनुसंधान अभियोग संख्या 16/2023 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला कुरुक्षेत्र के लिये रवाना था, जो इसी दौरान गुरमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह वासी गांव बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र ने मन निरीक्षक के मोबाईल पर फोन करके सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्त मांगने पर रेड करवाने बारे व मुझ से मिलने बारे आग्रह किया। जिस पर उच्चाधिकारियों से बातचीत करके राजपत्रित गवाह नियुक्त करवाने बारे आग्रह किया, जो कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला से श्री पवन कुमार शर्मा एच.एफ.एस., डी.एफ.ओ. अम्बाला को राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे जारी आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने पर कार्यालय डी.एफ.ओ. अम्बाला से श्री पवन कुमार शर्मा उपरोक्त बतौर राजपत्रित अधिकारी व उनके कार्यालय से श्री सुधीर कुमार आर.एफ.ओ. को बतौर छाया गवाह साथ लेकर मन निरीक्षक मय गाड़ी सरकारी मय रेडिंग पार्टी के शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह उपरोक्त से नजदीक बस स्टैंड बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र पर मुलाकी हुआ जहां पर शिकायतकर्ता द्वारा अपनी हस्तलिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा मन निरीक्षक को पेश किये गये 500/500 रुपये के 60 करंसी नोट कुल 30,000/- रुपये को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई। फर्द सूची नोट पर शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह ने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द सूची नोट को राजपत्रित अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये नोटों से मिलान किया जाकर वैरिफाई किया गया। दरखास्त उपरोक्त से विकास, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी कुरुक्षेत्र द्वारा शिकायतकर्ता को सरकार की तरफ से दी जानें वाली राहत राशि दिलवाने की एवज में 30,000/- रुपये रिश्त की राशि मांगने पर विकास, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, कुरुक्षेत्र के विरुद्ध अपराध धारा 7

पी.सी.एक्ट 1988 व 384 भा.द.स. का सरजद होना पाया गया जाने पर दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बजरिया सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के बराये करवाने दर्ज अभियोग प्रबन्धक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला की सेवा मे भेजा जा रहा है। तहरीर पर अभियोग अंकित करके नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मौका पर व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र व अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जाये। मन निरीक्षक मय रेडिंग पार्टी मय शिकायकर्ता के व्यस्त कार्यवाही रेड होता हूं। तफतीशी बैग व लैपटॉप, प्रिन्टर पहले से ही हमरा है।
अज : नजदीक बस स्टैंड बाबैन।

Sd. Ramphal

निरीक्षक

भ०नि०ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

दिनांक 21-03-2024

At. 5.00 pm.

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा लिखित निरीक्षक रामफल, भ०नि०ब्यूरो अम्बाला बर दरखास्त गुरमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह वासी नजदीक खेड़ा माड़ी, गांव बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र बर खिलाफ सरकारी कर्मचारी विकास, जिला कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र बाबत शिकायतकर्ता के पिता द्वारा थाना बाबैन मे दर्ज करवाये गये केस न० 218/2021 धारा SC/ST Act. के लिये सरकारी योजना के तहत मिले पैसों मे से डरा धमका कर 30,000/- रुपये रिश्तत राशि मांगने बारे धारा 7 पी.सी. एक्ट -1988 व 384 भा.द.सं. का होना पाया जाने पर बादस्त सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 11 दिनांक 21/03/2024 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 384 भा.द.सं. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख आने वाले सिपाही सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Ramphal Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 754 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)
- Signature of Officer in charge, Police Station**
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
- Name (नाम):** PAWAN KUMAR
- Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
- No. (सं.):** DSP
15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)